

संख्या- 27/86/2005-एस.0 आर.0 एस.

भारत सरकार

कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय
(कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग)

तीसरा तल, लोकनायक भवन,
खान मार्केट, नई दिल्ली 110003।
दिनांक 4 जून 2009

आदेश 01/2009

उत्तर प्रदेश पुनर्गठन अधिनियम 2000 की धारा 73 की उपधारा (2) के अधीन, प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार एतद्वारा यह निदेश देती है कि इस आदेश के संलग्नक में निर्दिष्ट प्रत्येक व्यक्ति, जो 09.11.2000 के ठीक पहले विद्यमान उत्तर प्रदेश राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में सेवा कर रहा हो एवं उपर्युक्त अधिनियम की धारा 73 की उपधारा (1) के अधीन, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य या उत्तराखंड राज्य के क्रियाकलापों के संबंध में यथास्थिति, 09.11.2000 से ही अंतिम रूप से सेवा कर रहा हो, को उत्तरवर्ती उत्तराखंड राज्य यथास्थिति 09.11.2000 से सेवा के लिए अंतिम रूप से आवंटित समझा जाएगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से अंतरिम स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, उसका अंतिम आवंटन न्यायालय के स्थगन आदेश के रद्द होने के बाद ही प्रभावी होगा अथवा जहाँ न्यायालय के द्वारा इस संबंध में कोई निर्देश दिया गया हो, ऐसे प्रत्येक व्यक्ति का आवंटन न्यायालय के अंतिम आदेश के अधीन होगा।

परन्तु ऐसा प्रत्येक व्यक्ति, जिसने न्यायालय से आवंटन से मुक्त रहने का स्थगन आदेश प्राप्त किया हो, को न्यायालय के आदेश प्रभावी रहने तक आवंटित नहीं समझा जाएगा।

परन्तु संबंधित सेवा/पद के शेष बचे हुए कार्मिक जिनका अंतिम आवंटन उत्तरवर्ती उत्तराखंड राज्य के लिए नहीं किया गया है तथा जो आदेश संख्या 27/9/2001 एस.आर.एस. दिनांक 11.09.2001 के द्वारा उत्तराखंड राज्य को आवंटित नहीं किए गए हैं, उत्तरवर्ती उत्तर प्रदेश राज्य को अंतिम रूप से आवंटित समझे जाएंगे जब तक कि नियमानुसार अन्यथा निर्णय नहीं लिया जाता।


यह अंतिम आवंटन राज्य परामर्शीय समिति की दिनांक 20.02.2009 को हुई 68वीं बैठक की संस्तुतियों पर आधारित है।

संलग्नक:-

1. अनुबन्ध (02 पेजों में) उत्तरवर्ती उत्तराखंड राज्य को अंतिम रूप से आवंटित चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग के फार्मासिस्ट संवर्ग के 43 कार्मिकों की सूची।

प्रतिलिपि:


1. मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
2. मुख्य सचिव, उत्तराखंड सरकार, देहरादून।
3. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तर प्रदेश सरकार, लखनऊ।
4. प्रमुख सचिव, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग, उत्तराखंड सरकार, देहरादून।
5. प्रमुख सचिव, उत्तर प्रदेश राज्य पुनर्गठन समन्वय विभाग, सातवां तल, विकास भवन, जनपथ लखनऊ।
6. सचिव, उत्तराखंड राज्य पुनर्गठन विभाग, देहरादून।


वि. पी. सिंघ (V. P. Singh)
उप सचिव, भारत सरकार
कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग
Dept. of Personnel & Trg.
Ministry/Dept. of India

विभाग : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
फार्मसिस्ट
राज्य आबंटित उत्तराखण्ड

क्रमांक	टी.एफ. ए.एल. क्रमांक	कार्मिक का नाम	श्रेणी	आवंटन का आधार
1	2	3	4	5
1.	1	श्री जगदीश चंद्र काण्डपाल	सामान्य	विकल्पधारी
2.	2	श्री के. के. रतूडी	सामान्य	विकल्पधारी
3.	3	श्री के. सी. नैनवाल	सामान्य	विकल्पधारी
4.	4	श्री बी. एन. बैलवाल	सामान्य	विकल्पधारी
5.	5	श्री महावीर सिंह राणा	सामान्य	विकल्पधारी
6.	6	श्री भुवन चन्द्र जोशी	सामान्य	विकल्पधारी
7.	7	श्री भूपाल सिंह	सामान्य	विकल्पधारी
8.	8	श्री कैलाश चन्द्र चमोली	सामान्य	विकल्पधारी
9.	9	श्री आनन्द सिंह चौहान	सामान्य	विकल्पधारी
10.	10	श्री रमेश चन्द्र नौटियाल	सामान्य	विकल्पधारी
11.	11	श्री मानवेन्द्र सिंह	सामान्य	विकल्पधारी
12.	12	श्री उमा शंकर भट्ट	सामान्य	विकल्पधारी
13.	13	श्री मानवेन्द्र सिंह लिंगवाल	सामान्य	विकल्पधारी
14.	14	श्री एन. के. भट्ट	सामान्य	विकल्पधारी
15.	15	श्री मुकेश कुमार	सामान्य	विकल्पधारी
16.	16	श्री सतीश चन्द्र कुकरेती	सामान्य	विकल्पधारी
17.	17	श्री सोहन लाल	सामान्य	विकल्पधारी
18.	18	श्री महेश चन्द्र सती	सामान्य	विकल्पधारी
19.	19	श्री आत्माराम	सामान्य	विकल्पधारी
20.	20	श्री देव सिंह असवाल	सामान्य	विकल्पधारी
21.	21	श्री विनोद कुमार धपोला	सामान्य	विकल्पधारी
22.	23	श्री इन्द्रराज वर्मा	पिछडा वर्ग	विकल्पधारी
23.	24	श्री राकेश कुमार	पिछडा वर्ग	विकल्पधारी
24.	33	श्री अजय कुमार चौहान	पिछडा वर्ग	मूल निवासी
25.	34	सुश्री जसवीर कौर	पिछडा वर्ग	विकल्पधारी
26.	36	श्री मनोज कुमार	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
27.	37	श्री मुबारक अली	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
28.	38	श्री श्याम किशोर	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
29.	39	श्री धर्मेन्द्र सिंह	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
30.	40	श्री सुरेश पाल सिंह	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
31.	41	श्री सत्येन्द्र सिंह	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
32.	42	श्री सत्येन्द्र पाल सिंह	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
33.		श्री एम. पी. यादव	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
34.		श्री इम्तियाज अहमद	पिछडा वर्ग	कनिष्ठतम
35.	25	श्री राजेन्द्र सिंह	पिछडा वर्ग	विकल्पधारी

संलग्नक से आदेश नं.
Annexure to order No. 01/2009
दिनांक
Dated 04/06/2009



(DR. DEEPAK V. PEGGANDA)
महानिदेशक/Deputy Secretary
राज्य आबंटित उत्तराखण्ड

विभाग : चिकित्सा एवं स्वास्थ्य विभाग
फार्मसिस्ट
राज्य आबंटित उत्तराखंड

क्रमांक	टी.एफ. ए.एल. क्रमांक	कार्मिक का नाम	श्रेणी	आवंटन का आधार
36.	26	श्री रमेश चन्द्र आर्य	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
37.	27	श्री दिनेश कुमार	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
38.	28	श्री श्याम लाल	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
39.	29	श्री जोगा राम	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
40.	31	श्री हरेन्द्र सिंह	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
41.	32	सुश्री सरोज आर्या	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
42.		श्री दधि बल्लभ	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी
43.		श्री चामू सिंह	अनुसूचित जाति	विकल्पधारी

4 फार्मसिस्ट जो क्रमांक 33 34 42 तथा 43 पर अंकित हैं यदि वे चाहें तो आवंटन के सम्बन्ध में प्रत्यावेदन प्रस्तुत कर सकते हैं ।

संलग्नक से आदेश नं.
Annexure to order No... 21/2009
दिनांक
Dated... 04/06/2009...


श्री विद्यानाथ प्रसाद
उप-सचिव/Deputy Secretary
कार्मिक विभाग, प्रशासन विभाग
Deptt. of Personnel & Insp.
भारत सरकार/Govt. of India

No. 27/86/05 - SRS
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Personnel & Training

Lok Nayak Bhwan, Khan Market,
New Delhi, June, 2009

To

Dispatch no
549 (i)

The Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

4 JUN 2009

600 (ii)

The Chief Secretary,
Government of Uttrakhand,
Dehradun.

Sir,


I am directed to say that the U.P Reorganization Coordination Department vide letter dated 27-02-2009 requested for regularization of the allocation of following Pharmacists under spouse policy whose cases were earlier considered by the SAC in different meetings as under:


S.No.	Name	State recommended	Date of meeting	SAC
1.	Shoorveer Lal	Uttrakhand	07-07-2005	
2.	Jagat Pal Singh Manral	Uttrakhand	07-07-2005	
3.	Prem Prakash	Uttrakhand	06-02-2006	
4.	Manoj Kumar	Uttrakhand	06-02-2006	
5.	Vinod Kumar	Uttrakhand	06-02-2006	

2. The request of U.P Reorganization Coordination Department was considered by the SAC in its meeting held on 20-02-2009 and the Committee recommended to regularize the final allocation of the above Pharmacists under spouse policy as recommended in the earlier meetings of the Committee.

3. The above recommendation of the SAC has been accepted by the Government of India.

4. Concerned Officers may kindly be informed of the decision.



Yours faithfully,

(V. Peddanna)

Deputy Secretary to the Govt. of India.

Copy to:

Dispatch no
602

1. Shri R.M. Srivastava, Pr. Secretary, U.P Reorganization Coordination Department, Vikas Bhawan, Janpath, Lucknow.
2. Shri Shatughan Singh, Secretary, Uttrakhand Reorganization Department Dehradun.
3. Pr. Secretary, Medical Health & Family Welfare Department Govt. of U.P. Lucknow.
4. Pr. Secretary, Medical Health & Family Welfare Department Govt. of Uttrakhand, Dehradun.

602

No.27/05/09-SRS
Government of India
Ministry of Personnel, P.G. and Pensions
Department of Personnel & Training

3rd floor, Lok Nayak Bhavan,
New Delhi, May 2009

4 JUN 2009

To

Despatch No. 593 ✓ (1) The Chief Secretary,
Government of Uttar Pradesh,
Lucknow.

594 ✓ (2) The Chief Secretary,
Government of Uttaranchal,
Deharadun.

Subject: Final Allocation of the Election Department of the erstwhile State of Uttar Pradesh
- regarding -


Sir,

I am directed to refer to the subject noted above and to say that the following 9 posts of Haridwar District in the Election Department have been allotted to Uttarakhand:

S.No.	Name of the Post	No. of Posts
1.	Asstt. Dist. Election Officer	01
2.	Senior Clerk	04
3.	Junior Clerk	03
4.	Class-IV	01
Total		09

The request of both the successor State Government of Uttar Pradesh and Uttarakhand for allotting vacancies in place of personnel against the said posts to the successor State of Uttarakhand, was considered by the State Advisory Committee in its meeting held on 20.02.2009. The State Advisory Committee recommended allotting 9 vacancies as mentioned above to the successor State of Uttarakhand. The recommendation of the State Advisory Committee has been accepted by the Government of India.

Yours faithfully,


(V. Peddanna)
Deputy Secretary to the Govt. of India

- 595 ✓ 1. Sh. R.M. Srivastava, Principal Secretary, U.P. Reorganisation Coordination Department,
Vikas Bhawan, Janpath Market, Lucknow.
- 596 ✓ 2. Shri Shatrughan Singh, Secretary, Reorganisation, Govt. of Uttarakhand, Dehradun.
- 597 ✓ 3. The Principal Secretary, Election Department, Government of Uttar Pradesh, Lucknow.
- 598 ✓ 4. The Principal Secretary, Election Department, Government of Uttarakhand, Dehradun.

